

11/18

पत्रावली पेश हुई। वही अनु.  
प्रतिवादी उप.। क्योंकि दो  
बार मौका देने पर भी नती  
वादी न ही उनके अधि. उप.  
इसलिए वाद का अधम  
परवी अधम तामीली  
स्वार्थिज किया जाता है।

